राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांकः एफ 13(4)/WD&SC/JD/Agr-II/2966–3012 दिनांक 18/7/2014

परिपत्र

राज्य में कृषि एवं पशुपालन आजीविका का मुख्य व्यवसाय है। पशुओं के स्वास्थ एवं उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिये चारे का प्रकार एवं उसकी गुणवत्ता बहुत महत्व रखती है। पशुओं को अच्छा चारा खिलाने के लिये चारा कुटटी मशीन का विशेष योगदान है। चारा कुटटी मशीन हस्तचालित एवं पावर चलित दोनों प्रकार की राज्य में प्रचलित है किन्तु एक कृषक को एक प्रकार की चारा कुटटी मशीन पर ही अनुदान दिया जायेगा अर्थात हस्तचलित या पावर चलित पर। चारा कुटटी मशीन का पशुधन विकास में बहुत बडा योगदान है। एकीकृत जलग्रहण प्रबनधन कार्यक्रम की कार्य निर्देशिका के अध्याय 12 के परियोजना के घटक के बिन्दु 3 (ब) (iv) पर चारा कुटटी मशीन वितरण का कार्यक्रम जुड़ा है। चारा कुटटी मशीन की उपयोगिता को देखते हुए विभागीय बैठक दिनांक 30.06.2014 में पात्र पशुपालकों का चयन कर उन्हें यह मशीन दिलाने का निर्णय लिया गया। चारा कुटटी मशीन के द्वारा पशुओं को अच्छी गुणवता का चारा मिलेगा जिससे पशु स्वस्थ रहेगें और उनकी कार्य क्षमता/उत्पादकता में वृद्धि होगी। जिसका अन्ततः फायदा कृषक/पशुपालक को होगा और देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी।

चारा कुटटी मशीन के अनुदान पर वितरण के दिशा–निर्देश निम्न प्रकार रहेगें।

1. **कृषक पात्रताः–** इस कार्यक्रम के लिये जलग्रहण क्षेत्रों में समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलायें बी.पी.एल. सीमान्त, लघु एवं अर्द्ध मध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाना है। इसलिये चारा कुटटी मशीन का वितरण भू–स्वामी किसानों के साथ–साथ जमीन रहित कृषक मजदूर लगान पर खेती करने वाले किसान एवं बटाई दार आदि सभी कृषकों जो पशुपालन का कार्य करते है को भी कुटटी मशीन का वितरण किया जायेगा।
2. **कृषकों का चयनः–**

I. चयनित जलग्रहण क्षेत्रों में कृषकों का चयन पी.आई.ए के द्वारा जलग्रहण समिति से विचार विमर्श कर किया जायेगा एवं प्रस्ताव पारित कराकर किया जायेगा।

II. कृषकों को दी जाने वाली सहायता राशि हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कृषि विस्तार कार्यकर्ता (कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी) से तीन वर्ष में चारा कुटटी मशीन पर अनुदान न लिये जाने का प्रमाण पत्र लेना होगा।

3. **अनुदान वितरण प्रकियाः–** जलग्रहण क्षेत्रों में कृषकों को अनुदान पर कुट्टी मशीन देने के लिये सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक द्वारा जिले की मांग व उपलब्ध बजट के आधार पर निविदा प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं अधिनियम 2012 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पूरी करनी होगी। निविदा प्रकिया सम्पन्न होने पर प्रकिया की कार्यवाही विवरण पी.आई.ए. को भेजेगा। पी.आई.ए. जलग्रहण समिति के सदस्यों से विचार विमर्श कर चयनित कृषकों की सूची व निविदा प्रकिया में निर्धारित की गई न्यूनतम दर एवं स्पेशीफिकेशन के आधार पर अनुमोदित फर्म से चारा कुटटी मशीन

मँगा कर कृषकों को उपलब्ध करायेगे। चारा कुटटी मशीन जलग्रहण समिति के सदस्यों की उपस्थिति में संबंधित कृषकों को उपलब्ध करायी जावेगी। कृषकों को कुटटी मशीन के निर्माता/आपूर्तिकर्ता को पूरी कीमत का भुगतान करना होगा। बाद में मशीन की कीमत का सामान्य कृषक से 20 प्रतिशत एवं SC/ST कृषक से 10 प्रतिशत राशि परियोजना खाते से WDF के खाते में तथा शेष राशि लाभन्वित कृषक के खाते में चैक से जमा कराई जावेगी।

4. **गुणवत्ता आंकलनः–** निविदा प्रकिया अनुसार निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं गुणवत्ता की जाँच उद्योग विभाग से करावें एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कुटटी मशीन कृषकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावेगी। साथ ही स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता के आधार पर निरीक्षण की जिम्मेदारियाँ परियोजना प्रबन्धक एवं पी.आई.ए. दोनों की होगी।

5. **अन्य सामान्य निर्देशः–**

I. वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर निदेशालय के जिला प्रभारी अधिकारी एवं निदेशालय में पद स्थापित संयुक्त निदशेक कृषि कम से कम 5 प्रतिशत कुटटी मशीन का भौतिक सत्यापन करेगें।

II. निविदा प्रकिया द्वारा अनुमोदित फर्म द्वाराः– कुटटी मशीन पर प्रमुख स्थान पर बड़े व पठनीय अक्षरों में "जलग्रहण विभाग द्वारा IWMP योजनान्तगर्त वर्ष 2014–15 में अनुदानित" का अंकन पेन्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

III. चारा कुटटी मशीन का वितरण शिविर लगाकर प्रशिक्षण कार्यकमों या कृषक मेलों में भी किया जा सकता है।

IV. भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु 4 (C) के अनुसार चयनित कृषकों की लिस्ट का अनुमोदन जलग्रहण समिति, पी.आई.ए. के सदस्य एवं पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

V. भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु 4 (D) के अनुसार कृषकों को चारा कुटटी मशीन पर अनुदान का भुगतान चैक द्वारा उनके खातों में क़िया जायेगा।

VI. भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु 3 (E) के अनुसार सामान्य कृषकों का योगदान 20 प्रतिशत एवं एस.सी.एस.टी. का योगदान 10 प्रतिशत रहेगा एवं लाभार्थी की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट कोस्ट की ईकाई लागत के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए।

VII. चारा काटने की मशीन उन कृषकों को दी जायेगी जिन्होंने कृषि विभाग एवं अन्य किसी विभाग द्वारा गत वर्षों में चारा कुटटी मशीन पर अनुदान नहीं लिया है। कृषक से चारा काटने की मशीन पर अनुदान नहीं लेने का शपथ पत्र लिया जायेगा।

VIII. चारा काटने की मशीन वितरण हेतु परियोजना प्रबन्धक द्वारा GF&AR एवं Rajasthan Transparancy and Public Procurement Rules 2013 के प्रावधानों के अनुसार निविदाऐं आंमत्रित करनी होगी। निविदाऐं आंमत्रित करने हेतु पशुपालन विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ की उपापन समिति में लिया जायें।

IX. सम्बन्धित जलग्रहण क्षेत्रों की डी.पी.आर. में उपलब्ध प्रावधानों एवं IWMP मार्गदर्शिका 2013 के नियमानुसार चारा कुटटी मशीन का वितरण कराया जावें।

X. हस्त चलित या शक्ति चलित चारा कुटटी मशीन कृषकों को वितरित की जा सकती है। चारा कुटटी मशीन वितरण की मासिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 में नियमित रूप से ईमेल एवं डाक द्वारा भेजें।

X. हस्त चलित या शक्ति चलित चारा कुटटी मशीन कृषकों को वितरित की जा सकती है। चारा कुटटी मशीन वितरण की मासिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 में नियमित रूप से ईमेल एवं डाक द्वारा भेजें।

XI. हस्तचलित / पावर चलित कुटटी मशीन की कीमत का सामान्य किसानों से 20 प्रतिशत एवं SC/ST से 10 प्रतिशत राशि WDF के खाते में जमा करायी जायेगी तथा शेष राशि लाभांवित कृषक के खाते में चैक से जमा करायी जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18.7.14

(एम.एस. काला)
निदेशक

क्रमांकः एफ 13(4) / WD&SC / JD / Agr-II / 2966–3012 दिनांक 18/7/2014

प्रतिलीपीः– आवश्यक एवं सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव निदेशक महोदय, WD&SC जयपुर।
2. निजी सचिव अति. निदेशक, IWMP जयपुर।
3. समस्त परियोजना प्रबंधक जिला परिषद ....को भेजकर लेख है कि परिपत्र के दिशा–निर्देशानुसार पात्र कृषको को नियमानुसार चारा कुटटी मशीन का वितरण सुनिश्चित करावें।
4. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी .... निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान जयपुर।
5. ACP Please विभागीय वेबसाइट में डालें

(डॉ. हुशियार सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि

प्रपत्र–1

चारा कुटटी मशीन वितरण की कृषक सूची

क.स.	परियोजना का नाम व वर्ष	चयनित कृषकों का नाम व पता	श्रेणी			
			Gen.	SC	ST	योग
1.						
2.						

प्रपत्र–2

चारा कुटटी मशीन की भौतिक वित्तीय प्रगति

क.स.	परियोजना का नाम व वर्ष	कुटटी मशीन वितरण कृषक संख्या				व्यय राशि			
		Gen.	SC	ST	योग	Gen.	SC	ST	योग
1.									